विज्ञप्ति

खनन सामग्री परिवहन करने वाले भार वाहनों के वाहन स्वामी/चालकों को सूचित किया जाता है कि 01 जनवरी, 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई में खाली वाहन का वजन (व्हीकल टेयर वेट(**ULW**)) परिवहन विभाग की वेबसाईट ''**वाहन**'' से लिया जायेगा।

1. वाहन चालकों/मालिकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

(a). समस्त वाहन स्वामी/चालक 01 जनवरी, 2020 से पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवा लेवें।

(b). वाहन स्वामी/चालक वाहन की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अंकित होना सुनिश्चित करे एवं परेशानी से बचे।

(c). खनिज परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रोलियों का व्यवसायिक पंजीकरण 01 जनवरी, 2020 से पूर्व करवा लेवें।

2. वाहन एवं ई–रवन्ना/ई–टी.पी. को जोड़ने के लाभः–

(a). इससे खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करनी पड़ेगी।

(b). ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण में कमी आयेगी।

(c). ओवरलोड परिवहन से होने वाली सड़कों की क्षति कम होगी, जिससे सड़कों के नवीनीकरण में होने वाले व्यय में कमी आने से राजकीय धन की बचत होगी।

3. खान मालिक/वे ब्रिज मालिक/ट्रान्सपोटर्स विशेष ध्यान देः–

(a). 01 जनवरी, 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग की वेबसाईट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना हेतु संदेश प्रेषित हो जायेगा, जिससे परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक/चालक व खान मालिकों/डीलर्स /ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(b). **ई-रवन्ना/ई-टी.पी. से अधिक वाहन में भार पाये जाने पर**

(i) संबंधित वाहन/वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक-लिस्टेड किया जायेगा।

(ii) संबंधित खनन पट्टेधारी/डीलर्स/ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iii) संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाईट पर किया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा तथा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु बाट एवं माप विभाग को अनुशंषा की जायेगी।